इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 625] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-70-2007-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-50-2005-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 12 मार्च, 2008 (जिसे उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को राज्य में उत्पादित धान से बासमती चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी फीस से भुगतान में निविर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट दी गई थी.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना को संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना के "**प्रथम खण्ड**" को विलोपित करते हुए निम्नानुसार खण्ड स्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

"अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य के बाहर से अथवा राज्य के भीतर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई ऐसी अधिसूचित कृषि उपज "धान" जो केवल बासमती चावल के प्रसंस्करण एवं उत्पादन के लिये उपयोग में लाई जाती है, को उक्त अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना के "**शर्त क्रमांक-3**" को विलोपित करते हुए निम्नानुसार शर्त स्थापित की जाती है, अर्थात् :—

राज्य के बाहर से क्रय कर मध्यप्रदेश में लाई गई "धान" जिससे बासमती चावल का उत्पादन किया जाना है, के संदर्भ में प्रसंस्करणकर्ता को संबंधित राज्य की कृषि उपज मण्डी समति से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि

प्रसंस्करणकर्ता द्वारा क्रय कर प्रदेश में लाई जा रही ''धान'' बासमती प्रजाति की है एवं इसकी मात्रा, मूल्य का उल्लेख करते हुए इस पर उदग्रहित होने वाली मण्डी फीस का भुगतान संबंधित मण्डी समिति को प्राप्त हो गया है तथा प्रसंस्करणकर्ता के द्वारा इसका परिवहन मध्यप्रदेश राज्य स्थित उसके संयंत्र पर प्रसंस्करण हेतु किया जा रहा है, यह प्रमाण-पत्र प्रसंस्करणकर्ता को पाक्षिक विवरणी के साथ संबंधित मण्डी समिति को मण्डी फीस से छूट प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा.

3. उक्त अधिसूचना के **''शर्त क्रमांक-10''** को विलोपित करते हुए निम्नानुसार शर्त स्थापित की जाती है, अर्थात् :—

''उक्त अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अध्याधीन रहते हुए मंडी क्षेत्र में स्थापित की गयी आधुनिक राईस मिलों को राज्य के भीतर से क्रय की गई कृषि उपज-''धान'' जो कि बासमती चावल के प्रसंस्करण/उत्पादन हेतु उपयोग में लाई जाती है पर, स्थापित की गयी आधुनिक राईस मिलों के द्वारा-बिन्दु-12 अनुसार विनिश्चय कर जारी आदेश की दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक तथा राज्य के बाहर से क्रय की गई कृषि उपज-''धान'' (जो कि बासमती चावल के प्रसंस्करण/उत्पादन में उपयोग में लाई जाती है) पर इस अधिसूचना के दिनांक से पांच वर्ष तक मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी परन्तु मण्डी फीस से कुल प्राप्त छूट बिन्दु क्रमांक-9 में यथा उल्लेखित सीमा से अधिक नहीं होगी.''

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-70-2007-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2010

No. D-15-70-2007-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government has exempted from payment of market fees payable under the siad Act on Paddy produced in the state and used for production of Basmati rice to encourage its production in the State subject to the specified conditions in this department's notification No. D-15-50-2005-XIV-3, dated 12the March, 2008.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) & (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mani Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendment in this Department's said notification, namely :—

1. In the said notification **"Para One"** be deleted and following substituted :—

"NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby exempt such notified agriculture produce "Paddy" brought from outside the state or from within the state into any market area of the state used for processing and production of Basmati

Rice, from payment of mandi fee payable under the said Act, subject to the following terms and conditions, namely :—"

2. In the said notification **"condition No. 3"** be deleted and following substituted :—

Agriculture produce "Paddy" purchased from outside the state for processing and production of Basmati Rice, the Modern Rice Mill/Paddy Mill shall have to submit a certificate issued by the concerning mandi committee of that state, stating that the "Paddy" is of Basmati variety, mentioning its quantity, value and the mandi fee accrued on it has been paid to the concerned mandi committee and it is being transported to the plant of the Modern Rice Mill/Paddy Mill situated in the state of Madhya Pradesh for processing and production of Basmati rice. The said certificate has to be submitted by the Modern Rice Mill/Paddy Mill along with the fortnightly return to the concerned mandi committee from whom the exemption of mandi fee is sought."

3. In the said notification **"condition No. 10"** be deleted and following substituted :—

"Subject to the sub-section (2) of Section 69 of the Act, the Modern Rice Mills/Paddy Mills established in market area shall be entitled for exemption of mandi fee on the "Paddy" which is used for processing and production of basmati rice, purchased within the state from the date of issuance of order as per the Condition-12 for a period of five years. In case "Paddy" which is used for processing and production of basmati rice, purchased from outside the state, it would be from the publication of this notification for a period of five years, but the total exemption of mandi fee shall not be more than the limit as mentioned in the Condition No. 9."

This notification shall come into force from the date of its publication in the state.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.